

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

वेणीराम विपक्षी मांगीलाल

मुकदमा 212 2/25 पत्रावली संख्या 114/21 सन

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>अनुपस्थित रहे। अतः अनुपस्थित रहने पर वि.सं. 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्तव में पत्रावली संख्या 01R10CPC/तलवी 19 दिनांक 20/2/25 को पेश हो।</p>	
	<p>20/2/25 आज दिनांक की बार एरोसिडेशन मावली में कार्य स्थगित करने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक... 3/4/25 को पेश हो।</p>	
	<p>3/4/25 स्कुलाय बादी / प्रतिवादी उप के लिये मौका चाहते हैं। अतः अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/5/25 को पेश हो।</p>	
	<p>22/5/25 स्कुलाय बादी / प्रतिवादी उप के लिये मौका चाहते हैं। अतः अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10/7/25 को पेश हो।</p>	
	<p>10/7/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 28/8/25 को पेश हो।</p>	



28/8/25
पत्रावली पेडा हुई कधि. उअम पश. उप.
वि.प. 13 के नोडिय अदम नम्रील प्रप्त
हुए पुनः पेडा करे 1 पत्रावली वास्त
तलवी 13/अवाक प्र. 47 01 R10 CEC दिनांक
6/10/25 का पेडा हो।

6/10/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी न. 13/अवाक प्र. 47 01 R10 CEC
के लिबे मौका चाहते है। अतः दिनांक
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 15/12/25
को पेश हो।
(SDO) मावली

15/12/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी न. 13/अवाक प्र. 47 01 R10 CEC
के लिबे मौका चाहते है। अतः दिनांक
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 9/12/26
को पेश हो।
(SDO) मावली

9/12/26
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलवी न. 13/अवाक प्र.
के लिबे मौका चाहते है। अतः दिनांक
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 16/2/26
को पेश हो।
(SDO) मावली

16/02/26
पत्रावली पेडा हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय
स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं
प्रार्थी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय
सांघ 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं प्रार्थी एवं उनके
अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र अदम लागरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर
से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कमिश्नर
(SDO) मावली